भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2560

14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

खनिजों की ऑनलाइन नीलामी

2560. श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयनः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किन्हीं नए नियमों को अधिसूचित किया है जिनके अंतर्गत मुख्य और गौण खनिजों की ऑनलाइन नीलामी को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से नीलाम किए गए खानों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ख) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015, जिसके ज़रिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया, में खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के ज़रिए नीलामी पद्धति को निर्धारित किया गया है । मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रिया जिसके अधीन नीलामी की जाएगी, को निर्धारित करने के लिए बनाए गए खनिज (नीलामी) नियम, 2015 यह अनुबंधित करते है कि राज्य सरकारें, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा प्रदान करने के लिए केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही नीलामी आयोजित करेंगे । उक्त नियम में यह भी अनुबंधित है कि नीलामी, आरोही फॉरवर्ड ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी ।

उक्त नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख, अर्थात 20 मई, 2015 से लागू हुए हैं और धारा 3 के खंड (ड.) में निर्दिष्ट गौण खनिजों के रूप में अधिसूचित खनिजों तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग-क और भाग-ख में निर्दिष्ट खनिजों को छोडकर सभी खनिजों पर लागू हैं ।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है । इसलिए, खनिज रियायतें प्रदान करने की प्रक्रिया, राज्य सरकारों के वैधानिक और

प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं । तथापि, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में पारदर्शी और निष्पक्ष पद्धति अपनाने की सलाह दी गई है ।

(ग) : दिनांक 10.03.2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में कुल 6 खनन ब्लॉकों की ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए नीलामी की गई ।

****